न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (जिला पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 203/2015 .

वादीः– बनाम प्रतिवादी :–

1–भागीरथ पुत्र रामकुमार
जाति–साद, उम्र–37, निवासी
ग्राम पीपाड़ा, तहसील–जैतारण
जिला–पाली, राजस्थान

1–राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार जैतारण
तह.–जैतारण, जिला–पाली,

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजूः.16/6/2015**

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरुप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 16/06/2015**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–फालका में प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा–पिपाड़ा, पटवार हल्का–फालका, तहसील–जैतारण में वादी की पैतृक पुश्तैनी शामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर–85, रकबा–05–11 बीघा, खसरा एनम्बर–116 रकबा 04–09 बीघा, खसरा नम्बर–124 रकबा 3–15 बीघा, खसरा नम्बर रकबा 5–11, खसरा नम्बर 146 रकबा 5–14 बीघा, खसरा नम्बर–205 रकबा 4–19 बीघा, खसरा नम्बर– 208 रकबा 6–14 यबीघा, खसरा नम्बर–209 रकबा 11–18 बीघा, खसरा नम्बर–213 रकबा 7–19 बीघा, खसरा नम्बर–341 रकबा 9–19 बीघा, कुल खसरा 10 कुल रकबा 66–09 बीघा की आई हुई है। जिसमें वादी अपने हक हिस्से की आराजी में माफिक हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। नकल जमाबंदी वाद पत्र के साथ पेश की है। जिसे वादी का एक आवश्यक भाग माना जावे। वादी का नाम भागीरथ पुत्र रामकुमार हैं, जो वादी का सही नाम है, जो वादी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। वादी का सही व वास्तविक नाम भागीरथ ही हैं। परन्तु वादी के पिता के फौत हो जाने के बाद जब फौतेदगी म्यूटेशन भरा गया। उसमें तत्कालीन आर आई व पटवारी ने सहवन से वादी का नाम भागीरथ की बजाय भागचंद का इन्द्राज कर दिया हैं, जो कि एक रोंग एंट्री है, जो काबिल दुरुस्त है। वादी का नाम भागीरथ हैं। इसी नाम की वादी घोषणा कराने का अधिकरी होने से यह वाद–पत्र बाबत घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादी पेश है। वादी द्वारा दिनांक 05/06/2015 को राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तब जानकारी हुई कि उसका नाम राजरव रेकर्ड में गलंत इन्द्राज है, तब वादी ने प्रतिवादी के समक्ष एक नाम दुरुस्ती का प्राथना पत्र पेश किया है। जिस पर प्रतिवादी ने नाम दुरुस्त करने से इन्कार कर दिया है। तब वादी के पास अन्य कोई विकल्प नही रहने से यह वाद–पत्र बाबत घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती का सादर पेश किया है। वादी का नाम भागीरथ इन्द्राज नहीं होने से वादी को अनेको प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे की वादी के शैक्षणिक दस्तावेजात एवं अन्य दस्तावेजों भागीरथ नाम दर्ज हैं एवं उसके राजस्व रेकर्ड में भागचंद इन्द्राज हैं। जिसके आधार पर वादी सरकारी व बैंक की योजनाओ से वंचित हो जायेगा। जिससे वादी को

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नही हैं। इसलिये ये वाद-पत्र बाबत घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का सादर पेश किया है। बिनाय वाद दिनांक 05/06/2015 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड देखने एवं नाम दुरूस्ती का प्राथना पत्र प्रतिवादी को देने पर प्रतिवादी द्वारा इन्कार होने पर बमुकाम पीपाड़ा व जैतारण में पैदा हुआ हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण राजस्व लोक अदालत में उपस्थित आए। वादी ने वाद इस आशय का पेश किया कि राजस्व अभिलेख में भागचंद लिखा हैं। जिसके स्थान पर भागीरथ दर्ज होना चाहिए। इस बाबत् पटवारी हल्का से फर्द मौका जांच रिपोर्ट ली गई। जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि राजस्व रेकर्ड में भागचन्द पुत्र रामकुमार दर्ज हैं, जो नामान्तरण जरिए रेकर्ड पर आया। उपस्थित ग्रामीणजन ने बताया कि भागीरथ व भागचन्द एक ही व्यक्ति हैं तथा उसका सही नाम भागीरथ ही हैं। वादी अपना नाम शुद्ध कराने का अधिकारी हैं। लिहाजा वादी का नाम भागचन्द के स्थान पर जरिए शुद्धि-पत्र वास्तविक नाम भागीरथ दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-पिपाड़ा, पटवार हल्का-फालका, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर-85, रकबा-05-11 बीघा, खसरा एनम्बर-116 रकबा 04-09 बीघा, खसरा नम्बर-124 रकबा 3-15 बीघा, खसरा नम्बर रकबा 5-11, खसरा नम्बर 146 रकबा 5-14 बीघा, खसरा नम्बर-205 रकबा 4-19 बीघा, खसरा नम्बर- 208 रकबा 6-14 यबीघा, खसरा नम्बर-209 रकबा 11-18 बीघा, खसरा नम्बर-213 रकबा 7-19 बीघा, खसरा नम्बर-341 रकबा 9-19 बीघा, कुल खसरा 10 कुल रकबा 66-09 बीघा में भागचंद के स्थान पर भागीरथ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 16/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-फालका में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीः-	बनाम	प्रतिवादी :-
1-भागीरथ पुत्र रामकुमार जाति-साद, उम्र-37, निवासी ग्राम पीपाड़ा, तहसील-जैतारण जिला-पाली, राजस्थान		1-राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जैतारण तह.-जैतारण, जिला-पाली,
राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955		मु0न0 :रा0वा0 स0:203/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री रामस्वरुप चौधरी, अधिवक्ता, वादी। मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-पिपाड़ा, पटवार हल्का-फालका, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर-85, रकबा-05-11 बीघा, खसरा एनम्बर-116 रकबा 04-09 बीघा, खसरा नम्बर-124 रकबा 3-15 बीघा, खसरा नम्बर रकबा 5-11, खसरा नम्बर 146 रकबा 5-14 बीघा, खसरा नम्बर-205 रकबा 4-19 बीघा, खसरा नम्बर- 208 रकबा 6-14 यबीघा, खसरा नम्बर-209 रकबा 11-18 बीघा, खसरा नम्बर-213 रकबा 7-19 बीघा, खसरा नम्बर-341 रकबा 9-19 बीघा, कुल खसरा 10 कुल रकबा 66-09 बीघा में भागचंद के स्थान पर भागीरथ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 16/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	/		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	02	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः-	04	00	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner